

FIRST INFORMATION REPORT  
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)  
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2026
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0065 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/03/2026 10:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 27/02/2026 Date To (दिनांक तक): 05/03/2026
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 17:35 बजे Time To (समय तक): 15:40 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/03/2026 Time (समय): 09:00 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 12/03/2026 10:40:33 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 18 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TEHASIL AND PANCHAYAT SAMITI KARYALAY PARISAR, SUHAGPURA JILA PRATAPGARH

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DAULAT SINGH CHAUHAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): MOHAN SINGH

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1977

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KACHOTIYA, SUHAGPURA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KACHOTIYA, SUHAGPURA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	YASHWANT KUMAR JOSHI		पिता:RAMJI JOSHI	1. BADGAON SARADA, SARADA,सलूमबर,RAJASTHAN, INDIA
2	RAJMAL MEENA		पिता:JEEVAJI MEENA	1. MULYAKHEDI,SUHAGPURA,PR ATAPGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	8,000.00
---	------------------	-------	----------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)  
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान पिता श्री मोहन सिंह चौहान जाति राजपुत उम्र 49 साल निवासी कचोटिया सुहागपुरा जिला सुहागपुरा एक हस्तलिखित रिपोर्ट लेकर उपस्थित कार्यालय आया। कार्यालय पर कानिण् नरेन्द्र सिंह नं 324 उपस्थित मिला समय 12.06 पीएम कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 द्वारा जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि कार्यालय हाजा पर श्री दौलत सिंह चौहान निवासी कचोटिया सुहागपुरा से एक हस्तलिखित रिपोर्ट लेकर उपस्थित आया है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से बात की तो परिवादी ने बताया कि मैं दौलत सिंह पिता श्री मोहन सिंह चौहान निवासी कचोटिया सुहागपुरा का रहने वाला होकर मेरा कचोटिया गांव में मकान है जिसका पट्टा बना हुआ है इस पट्टे की रजिस्ट्री कराने के लिये कचोटिया सुहागपुरा सचिव यशवन्त कुमार जोशी ने मेरे से 12000/- रूपये मांग कर उक्त रूपये राजमल मीणा जो कि ई. मित्र चलाता है को देने के लिये कहां तथा कैसे देने पर ही रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने के लिये मुझे कहा में इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हु। परिवादी से दरियाप्त की गई तो परिवादी ने बताया कि सचिव यशवन्त कुमार जोशी बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जो रिश्वत राशि स्वयं नहीं लेकर अपने दलाल राजमल मीणा ई. मित्र संचालक द्वारा ही लेता है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कल ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई तो परिवादी ने बताया कि सचिव श्री यशवन्त कुमार जोशी साहब ने आज ही राजमल मीणा ईमित्र संचालक से मिलने के लिये कहां है। जिस पर मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में उपस्थित कानिण् नरेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया कि परिवादी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय के मालखाना प्रभारी दिलीप कानि से कार्यालय के मालखाने से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व नया खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन की कार्यवाही करावे। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि दिलीप कुमार नं 324 को फोन पर कानिण् नरेन्द्र सिंह न 324 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व एक खाली मेमोरी कार्ड देने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 27-02-2026 समय 5.45 पीएम कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया तथा बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर व एक नया खाली मेमोरी कार्ड लेकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगाकर चेक किया गया तो मेमोरी कार्ड खाली पाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान को ब्यूरो की डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। परिवादी व मन् कानि के मोबाईल नम्बर आपस में आदान. प्रदान किये गये। तत्पश्चात समय 12.45 पीएम पर मन् कानि व परिवादी अपनी. अपनी मोटर साईकिल से रिश्वत राशी मांग सत्यापन हेतु मय ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो समय करीब 1.50 पीएम पर हनुमानजी मन्दिर सुहागपुरा पहुंचे जहां अपनी.अपनी मोटर साईकिल को साईड में खडी कर आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी की लोकेशन जानने हेतु परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी के मोबाईल नम्बर पर समय 1.57 पीएम पर कॉल किया तो आरोपी ने बताया कि मैं कचोटिया हुं फाईल राजमल जी को दे दो ओर उनको कह दो साईन करवा देना। उक्त वार्ता को कानि नरेन्द्र सिंह कानिण् न 324 द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। तत्पश्चात समय करीब 02.03 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान को सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर परिवादी को श्री राजमल मीणा के ईमित्र की दुकान पर रवाना कर मैं अपनी उपस्थिती छुपाते हुए परिवादी के पिछे पिछे श्री राजमल मीणा की ई.मित्र की दुकान के आस.पास मुकीम रहा। इसके बाद समय करीब 02.27 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने मुझे बताया की मैं श्री राजमल मीणा के ई.मित्र की दुकान पर गया जहा राजमल मीणा उपस्थित मिला जिसको मैंने मेरी रजिस्ट्री की फाईल दी जिस पर श्री राजमल मीणा ने कहां कि 12000/- रूपये बताये है उन्होने, कैसे

पुरे लेंगे, मैं, सचिव तीनो आदमी थे उस होटल पर कितना पेसा बोला आपको दस दे दो आप में उनके हाथाजोडी कर दुंगा जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री राजमल मीणा ने कहा 8000/- रूपये मुझे दे दो जिस पर मैं साईन कराकर रजिस्ट्री करा दुंगा व रजिस्ट्री कराने के बाद बाकी के 2000/- रूपये मुझे दे देना। उपरोक्त वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्ड किया है। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक ने मुझे बुधवार को पैसे लेकर बुलाया है। जिस पर मन् कानि द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने व आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् कानि डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के जरिये मोटर साईकिल से रवाना हो समय करीब 4.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंच मुकिम हुआ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो रिपोर्ट निम्नानुसार है मैं दौलत सिंह पिता श्री मोहन सिंह चोहान निवासी कचोटिया सुहागपुरा का रहने वाला होकर मेरा कचोटिया गांव में मकान है जिसका पट्टा बना हुआ है इस पट्टे की रजिस्ट्री कराने के लिये कचोटिया सुहागपुरा सचिव यशवन्त कुमार जोशी ने मेरेसे 12000/- रूपये मांग कर उक्त रूपये राजमल मीणा जो कि ई. मित्र चलाता है को देने के लिये कहा तथा पैसे देने पर ही रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने के लिये मुझे कहा में इनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। ओर ना ही मेरी इनसे किसी प्रकार लेनदेन बकाया है और ना ही मेरी इसने कोई दुश्मनी है अतः कानुनी कार्यवाही करवाने की कृपा करे। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकोर्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान व संदिग्ध श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई जरिये टेलिफोन वार्ता व परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान व संदिग्ध श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो पाया कि संदिग्ध श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी के पट्टे की रजिस्ट्री करने की एवज में संदिग्ध श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक के मार्फत 12000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड यथास्थिति कार्यालय के मालखाने में कानि दिलीप न 319 से सुरक्षित रखवाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। आईन्दा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 28-02-2026 समय 12.20 पीएम पर दर्ज रहे कि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक द्वारा परिवादी श्री दौलत सिंह चैहान को रिश्वत राशि लेकर बुधवार दिनांक 04-03-2026 को बुलाया गया है मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की परिवादी से आज दिनांक तक रूबरू मुलाकात नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिण् नरेन्द्र सिंह नं 324 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान को दिनांक 03-03-20 को समय 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होने हेतु जरिये फोन सम्पर्क कर पाबन्द करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 ने अपने मोबाईल नम्बर

से परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर दिनांक 03-03-2026 को समय 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 03-03-2026 को होली का त्योहार होने की वजह से मैं ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने में असमर्थ हूं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिण् नरेन्द्र सिंह न 324 के मोबाईल से परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान के मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी को दिनांक 03-03-2026 को समय 7.00 पीएम पर कचोटिया बस स्टेण्ड पर मिलले हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 03-03-2026 समय 6.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से कचोटिया सुहागपुरा के लिये रवाना हुआ। दिनांक 03-03-2026 समय 8.30 पीएम पर दर्ज रहे कि उपरोक्त फिगराबाला का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 मय प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो समय करीब 7.20 पीएम पर कचोटिया बस स्टेण्ड पर पहुंचा जहा परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान उपस्थित मिला जिसको हमरा लेकर आरोपी श्री राजमल हाडोती के ई. मित्र की दुकान व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मकान व ग्राम पंचायत की लोकेशन जानने हेतु सुहागपुरा पहुंच आरोपीगणों की लोकेशन देख रवाना हो कचोटिया बस स्टेण्ड पहुंच परिवादी को कल दिनांक 04-03-2026 को समय 10.00 एएम पर मय रिश्वत राशी के ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता की हिदायत दि जाकर रूखसत कर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पहुंच मुकिम हुआ। दिनांक 04-03-2026 समय 9.30 एएम पर परिवादी श्री दौलत सिंह चैहान मय रिश्वत राशी के हाजिर कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं रिश्वत राशि 8000/- रूपये की व्यवस्था कर आया हूं मेने गोपनीय रूप से पता किया तो श्री यशवन्त कुमार जोशी सचिव साहब यहा नहीं होकर गांव गये हुये है। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बैठाया गया। दिनांक 04-03-2026 समय 4.10 पीएम पर दर्ज रहे कि परिवादी के बताये अनुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर की ब्यूरो मुख्यालय से समय 9.50 एएम व 12.04 पीएम तथा 04.06 पीएम पर लोकेशन ली गई तो आरोपी की लोकेशन उसके गांव सलुम्बर की तरफ आयी व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक की भी लोकेशन लि गई तो उसकी भी लोकेशन मुल्याखेडी आरोपी के गांव की आयी। जिस पर परिवादी श्री दौलत सिंह चैहान को दिनांक 05-03-2026 को समय 10.00 एएम पर मय रिश्वत राशी के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 04-03-2026 समय

06.10 पीएम पर जरिये दुरभाष श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर को हालात अर्ज कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 05-03-2026 को अतिरिक्त जाप्ता उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 05-03-2026 समय 10.00 एएम पर कानि श्री धिरेन्द्र सिंह नं 546 व कानि श्री विर विक्रम सिंह नं 189 हाजिर कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। दिनांक 05-03-2026 समय 10.10 एएम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढ के नाम कार्यालय पत्रांक 405 दिनांक 05-03-2026 जारी कर श्री नरेन्द्र सिंह कानि को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 05-03-2026 समय 11.10 एएम पर उपरोक्त फिगराबाला का रवानाषुदा कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 मय कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ राजण् के पत्र क्रमांक 3318.19 दिनांक 05-03-2026 मय दो स्वतंत्र गवाह के हाजिर कार्यालय उपस्थित आये। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री भगवती लाल नायक पिता श्री मणिलाल नायक जाति लबाना उम्र 33 साल मु. पोस्ट पाल मुंगाणा मुंगाणा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ हाल अनुसंधान सहायक अधिकारी कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ राज व श्री गट्टुलाल मीणा पिता श्री नाथुलाल मीणा जाति मीणा उम्र 25 साल मुण् ओडा पोस्ट लोडावल तहसील साबला जिला डुंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग प्रतापगढ राज होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी.अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनो ने अपनी पहचान के संबन्ध में आधार कार्ड प्रस्तुत किये तत्पश्चात दोनों गवाहों को कार्यालय कक्ष में सुरक्षित बिठाया गया। दिनांक 05-03-2026 समय 11.15 एएम पर पुर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान ब्यूरो कार्यालय मे, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार रिश्वत राशि 8000/- रूपये देना तय हुआ थाए मांग के अनुसार मैं 8000/- रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए उपस्थित हुआ हु। जिस पर कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान की रिपोर्ट दिनांक 27-02-2026 को दोनो गवाहान के समक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द.ब.शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का रिकोर्डशुदा डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय के मालखाना से श्री दिलीप कानिण् नं 319 से मंगवाया गया जिस पर श्री दिलीप कानिण् नं 319 ने डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉर्डस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिकोर्ड वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया और गवाहो को भी सुनाया गया तो स्वतंत्र गवाहान ने भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि कीए फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 05-03-2026 समय 11.45 एएम दिनांक 27.02.26 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य समय 01.57 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता जिसे कानिण् नरेन्द्र सिंह न 324 द्वारा परिवादी का मोबाईल लाउडस्पीकर पर रखकर ब्यूरो के डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष कानि नरेन्द्र सिंह न 324 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि नरेन्द्र सिंह न 324 से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो ने पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी ने उक्त रिकोर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्डशुदा हैए उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 05-03-2026 समय 12.05 पीएम पर दिनांक 27.02.26 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री दौलत सिंह चैहान व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक के मध्य समय 02.03 पीएम पर हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर को दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष कानि नरेन्द्र सिंह न 324 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि नरेन्द्र सिंह न 324 से पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने उक्त रिकोर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक की होना बताया। डिजिटल वॉर्डस रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्डशुदा है उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 05.03.2026 समय 01.30 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 को बुलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि दिलीप न 319 से कार्यालय के मालखाना से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (Galaxy Xcover7 मॉडल SM-G556B चार्जिंग केबल, पाँवर बैंक व दो रिक्त खाली मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना

पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त खाली मेमोरी कार्ड KDM Micro SD 8GB डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री ईश्वरलाल कानि नम्बर 320 को सुपुर्द कर फर्द पेशकशी व रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्दिष्ट किया गया तथा इसके अतिरिक्त कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त खाली मेमोरी कार्ड KDM micro SD HC 8 GB श्री ईश्वरलाल कानि नम्बर 320 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्दिष्ट किया गया। दिनांक 05.03.2026 समय 01.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा व दलाल श्री राजमल ई. मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री दौलत सिंह से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैरू. क्र स नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500/- रूपये का एक नोट 8EP813157 02 500/- रूपये का एक नोट 6MP366838 03 500/- रूपये का एक नोट 0DK982831 04 500/- रूपये का एक नोट 0LL089397 05 500/- रूपये का एक नोट 4ML893744 06 500/- रूपये का एक नोट 9CM793413 07 500/- रूपये का एक नोट 2LK379990 08 500/-रूपये का एक नोट 6DQ740823 09 500/- रूपये का एक नोट 0PD442693 10 500/- रूपये का एक नोट 1FN607844 11 500/- रूपये का एक नोट 8HQ309355 12 500/-रूपये का एक नोट 5FP159679 13 500/- रूपये का एक नोट 4MU088122 14 500/- रूपये का एक नोट 6MC459408 15 500/-रूपये का एक नोट 3RR115851 16 500/- रूपये का एक नोट 7EN628418

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि से मालखाना से फिनोफथलीन की शीशी मंगवाई जाकर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 को सम्भलवाई जाकर हैड कानि द्वारा कार्यालय कक्ष के टेबल पर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 8000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री भगवतीलाल नायक से लिवाई गई तो परिवादी की जेब से पैसे व एक पर्स मिला जिसे एक सफेद रूमाल में बांधकर परिवादी को सुपुर्द कर अलग रखवाये गये। तत्पश्चात मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु परिवादी के पास नहीं रखवाई गई। फिनोफथलीन लगे हुए उक्त 500 रूपये के 16 नोट को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि द्वारा परिवादी श्री दौलत सिंह के पहने हुए पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कोई शै: नही छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफथलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वरलाल कानि न 320 द्वारा सरकारी फोन सेमसंग कम्पनी से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टिव कर वीडियोग्राफी करवाई गई । उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 से कार्यालय कक्ष के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि 319 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या कानि नरेन्द्र सिंह न 324 के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादीए श्री गणेश प्रसाद हैड कानि श्री दिलीप कुमार कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर की ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन मंगवाई गई तो कस्बा सुहागपुरा आयी जिस पर जाप्ते की कमी होने से दो पार्टी (दल) बनाये गये व श्री गणेश प्रसाद हैड कानि को दुसरे दल में रखा गया। दिनांक 05.03.2026 समय 02.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नरेन्द्र सिंह कानि 324 व परिवादी श्री दौलत सिंह चोहान को अपनी अपनी निजी मोटर साईकिल से डिजिटल वॉइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुहागपुरा की ओर रवाना कर पिछे.पिछे हैड कानिण् गणेश प्रसाद नं 06, कानि धिरेन्द्र सिंह नं

546 व कानि दिलीप नं 319 को प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के सुहागपुरा स्थित किराये के मकान के आप.पास मुक़िम होने हेतु पाबन्द कर रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह मय श्री विर विक्रम सिंह कानि न 189 व ईश्वरलाल कानि नं 320 मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से सुहागपुरा की तरफ रवाना हुए। दिनांक 05.03.2026 समय 3.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने.अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ से रवानाषुदा समय करीब 03.20 पीएम पर सुहागपुरा के आस.पास पंहुच अपने.अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। परिवादी दौलत सिंह चौहान व कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 अपनी.अपनी मोटर साईकिल से उतर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर कानि नरेन्द्र सिंह ने अपने पास से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल कर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु व बंद करने की विधि को पुनः समझाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक से रिष्वत राशी लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी दलाल की ई. मित्र की दुकान सुहागपुरा के लिए समय 03.34 पीएम पर रवाना किया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने.अपने वाहनो मे अपनी.अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में आरोपी दलाल के ई. मित्र की दुकान के आस.पास मुक़िम हुये। दिनांक 05.03.2026 समय 04.15 पीएम पर दर्ज रहे कि समय 03.40 पीएम पर परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान ने आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक द्वारा रिष्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर कानि नरेन्द्र सिंह द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वत राशि ग्रहण करने बाबत बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने.अपने वाहनो से रवाना हो परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान के पास आरोपी दलाल के ई. मित्र की दुकान में पहुंचे तो परिवादी ने रिष्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कानि नरेन्द्र सिंह नं 324 को सुपुर्द किया। जिसे कानि द्वारा बंद कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मेने अपने पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान ने अपने पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक हैं जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 8000/- रुपये रिष्वत राशी मेरे से ग्रहण कर गिनकर अपने बांये हाथ मे रखे है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ का होना बताया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान की ओर ईशारा करते हुए आरोपी से पूछा कि आप इसको जानते हो इसका नाम क्या है तो आरोपी ने बताया जानता हूं आरोपी से पूछा की आपने इनसे कैसे किस बात के लिए तो आरोपी ने बताया की इनके पट्टे की रजिस्ट्री करने की एवज में ई.मित्र पर ऑनलाईन जो चालान कटता है तथा ड्राफ्ट बनता उसके लिये लिये है जिस पर पास खडा परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान ने बताया की इन्होंने मेरे से ऑनलाईन चालान व ड्राफ्ट के 6600/- रुपये पहले ही ले लिये है आज जो इन्होंने 8000/- रुपये मेरेसे लिये है वो श्री यशवन्त कुमार जोशी सचिव साहब के लिये मेरे पट्टे की रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने के लिये है जो इनके बांये हाथ में है। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिष्वत राशी बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल नायक से आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक की तलाषी लिवाई गई तो आरोपी के बांये हाथ से 500-500 रुपये के कुछ नोट बरामद हुए जिसे स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के 16 नोट राशी 8000/- रुपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गये: क्र स नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 01 500/- रुपये का एक नोट 8EP813157 02 500/- रुपये का एक नोट 6MP366838 03 500/- रुपये का एक नोट 0DK982831 04 500/- रुपये का एक नोट 0LL089397 05 500/- रुपये का एक नोट 4ML893744 06 500/- रुपये का एक नोट 9CM793413 07 500/- रुपये का एक नोट 2LK379990 08 500/-रुपये का एक नोट 6DQ740823 09 500/- रुपये का एक नोट 0PD442693 10 500/- रुपये का एक नोट 1FN607844 11 500/- रुपये का एक नोट 8HQ309355 12 500/-रुपये का एक नोट 5FP159679 13 500/- रुपये का एक नोट 4MU088122 14 500/- रुपये का एक नोट 6MC459408 15 500/-रुपये का एक नोट 3RR115851 16 500/- रुपये का एक नोट 7EN628418 उपरोक्त बरामद शुदा रिष्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के 16 नोट राशि 8000/- रुपये को स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल नायक को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक से परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान के पट्टे की रजिस्ट्री से सम्बन्धित पत्रावली के

बारे में पुछा गया तो आरोपी दलाल राजमल मीणा ई.मित्र संचालक द्वारा दुकान की अलमारी से निकालकर पट्टे की रजिस्ट्री की पत्रावली पेश की उक्त पत्रावली का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया पत्रावली में दिनांक 02.10.2026 जारीशुदा मूल पट्टा जिसके साथ उसके पंजीयन रजिस्ट्री हेतु आवेदन पत्र के नीचे दाहीनी ओर परिवादी दौलत सिंह की फोटो एवं उसके हस्ताक्षर है जबकि बायी ओर ग्राम विकास अधिकारी यशवन्त कुमार जोशी की फोटो एवं सरपंच कचोटिया की फोटो है लेकिन हस्ताक्षर नहीं है। बाद अवलोकन दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी के पत्रावली पर हस्ताक्षर करा पत्रावली शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी दलाल राजमल मीणा को श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज कचोटिया के मोबाईल नम्बर पर फोन लगाने हेतु कहां तो आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा द्वारा उसके मोबाईल नम्बर से श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर समय 03.49 पीएम पर कॉल कर बताया कि हां सर, ये बापु वाला पेमेन्ट आ गया था साईन कराने के लिये आना था, कहां पर हो, ठीक है सर जिस पर आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया कि हां राजमल जी, ठीक है, आ रहा हूं 10 मिनट में खाना खा रहा हूं। आरोपी दलाल श्री राजमल के ई.मित्र की दुकान पर भीड़ इकठ्ठी हो जाने से व अग्रिम कार्यवाही हेतु उचित सुविधा ना होने की वजह से आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक को यथा स्थिती प्राईवेट वाहन में बिठाकर पुलिस थाना सुहागपुरा हेतु रवाना हुआ व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि श्री दिलीप न 319 को जरिये मोबाईल कॉल कर निर्देश दिये कि आप हमाराहियान के आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी को डिटैन कर पुलिस थाना सुहागपुरा पर लेकर पहुंचे। जिस पर समय करीब 03.55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व डिटैनषुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक को यथास्थिती लेकर पुलिस थाना सुहागपुरा पहुंचे जहा पर श्री नारायणलाल सउनि उपस्थित मिले जिनको मन् अतिरिक्त द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय दिया व अग्रिम कार्यवाही हेतु एक रूम उपलब्ध करवाने हेतु कहां जिस पर श्री नारायणलाल सउनि द्वारा पुलिस थाना सुहागपुरा परिसर स्थित थानाधिकारी का कक्ष उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक की जामा तलाषी गवाह श्री गटुलाल मीणा से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल विवो कम्पनी का मॉडल वी 40 हो जिसमे एक एयरटेल कम्पनी की सिम जिसके नम्बर व एक सिम जिओ कम्पनी की जिसके नम्बर एवं आधार कार्ड राजमल जिसके नम्बर गुडी बाई , संतोष कुमार नारंगी बाई व एटीएम कार्ड फिनकेयर , एटीएम कार्ड पीएबी एटीएम कार्ड एसबीआई एटीएम कार्ड एसबीआई एटीएम कार्ड एयु बैंक व ड्राईविंग लाईसेन्स राजमल आरजे.20130030089, आरसी बोलेरो आरजे 35 युए 2403 व 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/- रूपये तथा कान की बाली सोने की मिली जिनको स्वतंत्र गवाह श्री गटुलाल मीणा को सम्भलाया गया। तत्पश्चात हैड कानि गणेषप्रसाद न 06, कानि दिलीप न 319 व कानि धिरेन्द्र सिंह न 546 एक व्यक्ति को प्राईवेट वाहन से हमरा लेकर पुलिस थाना सुहागपुरा पर उपस्थित आये उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वयं का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री यशवन्त कुमार जोशी पिता श्री रामजी जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर हाल ग्राम विकास अधिकारी सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज कचोटिया होना बताया। तत्पश्चात दोनो आरोपीगणो को स्वतंत्र गवाह व परिवादी के समक्ष बिठाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी दलाल से पुछा गया कि परिवादी के पट्टे की रजिस्ट्री की फाईल आपके पास कैसे आयी तो आरोपी दलाल ने बताया कि श्री दौलत सिंह जी व सचिव साहब के बीच कोई पैसो की बात थी जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पुछा कि कितने पैसो की बात थी जिस पर परिवादी ने बारह हजार रूपये की बात थी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुछा की किसने मांगे तो परिवादी ने आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी की तरफ उंगली कर बताया कि इन्होने फिर दलाल की तरफ उंगली कर बताया कि इनके मार्फत मांगे है। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक के दोनों हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि श्री दिलीप न 319 से प्राईवेट वाहन में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर टेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पुलिस थाना सुहागपुरा मे पीने के पानी की बोतल मे से अलग.अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग.अलग एक.एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग.अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल.चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशीया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी

डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल.चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशीया कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात रिश्वत राशी भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 16 नोट राशी 8000 रूपये जो आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक के दाहिने हाथ से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद हुए हैं जो स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल नायक के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री भगवती लाल नायक द्वारा पेष किये जाने पर उक्त रिश्वत राषि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 16 नोट राषि 8000/- रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी गवाह श्री गटुलाल मीणा से लिवाई गई तो आरोपी के पास से एक मोबाइल Vivo कम्पनी मॉडल Y-200e 5G बरंग ब्लयु कलर मय सीम कार्ड 1 नम्बर सीम कम्पनी एयरटेल व सीम कार्ड 2 नम्बर सीम कम्पनी जीओ एक चाबी , दो पेन, एक काला बैग व 100-100 रूपये के तीन नोट कुल 300 रूपये मिले जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री गटुलाल मीणा को सम्भलाया गया। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर पुलिस थाना सुहागपुरा पर समय करीब 5.00 पीएम पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बीएनएसएस 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशी बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री ईश्वरलाल कानि 320 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 05.10 पीएम पर डिटेनशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06, श्री वीर विक्रम सिंह कानि, श्री दिलीप कानि 319 एवं श्री ईश्वरलाल कानि 320 के निगरानी मे सुरक्षित रखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवारी श्री दौलत सिंह चोहान, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री भगवती लाल नायक श्री गटुलाल मीणा, मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा के ई.मित्र की दुकान सुहागपुरा के लिए रवाना हुआ। दिनांक 05.03.2026 समय 05.30 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवारी श्री दौलत सिंह चोहान, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान श्री भगवती लाल नायक, श्री गटुलाल मीणा, मय आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन के घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु रवानाशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा के ई.मित्र की दुकान सुहागपुरा पहुंचकर नियमानुसार परिवारी श्री दौलत सिंह चोहान की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर प्राईवेट वाहन से रवाना हो हाजिर पुलिस थाना सुहागपुरा आये। दिनांक 05.03.2026 समय 05.40 पीएम पर आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक का पुत्र कृष्ण कुमार उपस्थित थाना सुहागपुरा आया जिसे स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक के बताये अनुसार जामा तलाशी मे मिले सामान को जरिये फर्द सुपुर्द किया गया। तथा मोबाईल फोन की कार्यवाही में आवश्यकता होने से गवाह श्री गटुलाल मीणा के पास ही रहने दिया। उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 05.50 पीएम पर आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने आरोपी से उसके निवास स्थान के बारे में पता किया गया तो उसने बताया कि बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर मेरा पेटूक मकान है सुहागपुरा कस्बे में मैं अपनी पत्नी ओर बच्चों के साथ किराये के मकान में रहता हूं। आरोपी पेटूक मकान बडगांव की खाना लिया जाना आवश्यक होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर को जरिये दुरभाष निवेदन किया जिस पर श्रीमान द्वारा जिला सलुम्बर का चार्ज श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर व अतिरिक्त चार्ज सलुम्बर होने से उनसे वार्ता करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री अनन्त कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर से जरिये वार्ता कर आरोपी का निवास स्थान की खाना तलाशी लेने हेतु कहा गया। तथा आरोपी के निवास का पता उपलब्ध करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ईश्वरलाल कानि 320 को रिश्वत राशी बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड KDM Micro SD 8 GB में रिकॉर्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री ईश्वरलाल कानि द्वारा रिश्वत राषि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात इस समय सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड KDM Micro SD 8 GB निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैंने अपने पास सुरक्षित रखा। आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के रिहायशी किराये का मकान कस्बा सुहागपुरा में होना बताया जाने पर श्री ईश्वरलाल कानि 320 के पास रखे एक रिक्त खाली मेमोरी कार्ड KDM Micro SD 8 GB जो पूर्व में श्री ईश्वरलाल कानि नं 320 को सुपुर्द किया गया था जिसे

सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर पुलिस थाना सुहागपुरा पर एक महिला कानि खाना तलाशी हेतु उपलब्ध कराने के लिये तेहरीर मुर्तिब की गई जिस पर पुलिस थाना सुहागपुरा से महिला कानि श्रीमती नागु बलाई न 685 को उपलब्ध करवाया गया जिसको हमरा लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , मय दोनों गवाहान श्री भगवती लाल नायक, श्री गटुलाल मीणा, व दोनो डिटैनशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री गणेशचन्द्र हैड कानि न 06, श्री नरेन्द्र सिंह कानि न 324, श्री दिलीप कानि न 319, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न 546, श्री विर विक्रम सिंह कानि न 189, एवं श्री ईश्वरलाल कानि 320 मय सरकारी मोबाईल फोन, ट्रेप बोकस, प्रिन्टर,लेपट्रोप मय सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, एवं आवश्यक संसाधन के अपने.अपने वाहनों से आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के रिहायशी किराये का मकान कस्बा सुहागपुरा की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। दिनांक 05.03.2026 समय 06.30 पीएम पर उपरोक्त फिगराबाला का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान श्री भगवती लाल नायक, श्री गटुलाल मीणा, व दोनो डिटैनशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री गणेशचन्द्र हैड कानि न 06 श्री नरेन्द्र सिंह कानि न 324, श्री दिलीप कानि न 319, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न 546, श्री विर विक्रम सिंह कानि न 189, एवं श्री ईश्वरलाल कानि 320 व श्रीमती नागु बलाई न 685 मय सरकारी मोबाईल फोन, ट्रेप बोकस, प्रिन्टर,लेपट्रोप मय डिजिटल वीडियो रिकोर्डर आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के रिहायशी किराये का मकान कस्बा सुहागपुरा की खाना तलाशी हेतु रवानाशुदा आरोपी के रिहायशी किराये का मकान कस्बा सुहागपुरा पहुंच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री ईश्वरलाल कानि 320 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी में मिले सामान दो पेन एक काला बैग व 100-100 रूपये के तीन नोट कुल 300 रूपये को गवाह श्री गटुलाल मीणा को सम्भलाये गये थे आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के बताये अनुसार आरोपी की पत्नी श्रीमती अंकिता जोषी को सुपुर्द किये गये। तथा मोबाईल फोन की कार्यवाही में आवश्यकता होने से गवाह श्री गटुलाल मीणा के पास ही रहने दिया। तत्पश्चात श्रीमती नागु बलाई न 685 को जाये तैनाती रूखसत कर मय प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के लिये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान श्री भगवती लाल नायक, श्री गटुलाल मीणा, व दोनो डिटैनशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री गणेशचन्द्र हैड कानि न 06 श्री नरेन्द्र सिंह कानि न 324, श्री दिलीप कानि न 319, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि 546, श्री विर विक्रम सिंह कानि न 189 एवं श्री ईश्वरलाल कानि 320 मय सरकारी मोबाईल फोन, ट्रेप बोकस, प्रिन्टर,लेपट्रोप मय डिजिटल वीडियो रिकोर्डर मय सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, एवं आवश्यक संसाधन के अपने.अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के लिये रवाना हुआ । दिनांक 05.03.2026 समय 07.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों गवाहान श्री भगवती लाल नायक, श्री गटुलाल मीणा, व दोनो डिटैनशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी मय ब्यूरो जाप्ता श्री गणेशचन्द्र हैड कानि न 06, श्री नरेन्द्र सिंह कानि न 324, श्री दिलीप कानि न 319, श्री धिरेन्द्र सिंह कानि न 546, श्री विर विक्रम सिंह कानि न 189, एवं श्री ईश्वरलाल कानि 320 मय सरकारी मोबाईल फोन, ट्रेप बोकस, प्रिन्टर, लेपट्रोप मय डिजिटल वीडियो रिकोर्डर मय सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, एवं आवश्यक संसाधन के अपने.अपने वाहनों से उपरोक्त फिगराबाला का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पहुंच ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की सिल्ड शिशियां, जब्त शुदा आर्टीकल्स को मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कानि न 319 को सुरक्षित रखने हेतु संभलाया गया। दिनांक 05.03.2026 समय 07.10 पीएम पर दिनांक 05.03.2026 को रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता के दौरान परिवादी श्री दौलत सिंह चैहान व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक के मध्य समय 03.34 पीएम पर हुई रूबरू वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वीडियो रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वीडियो रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष श्री ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि. ईश्वरलाल न 320 से पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने उक्त रिकोर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक की होना बताया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि की गई। डिजिटल वीडियो रिकोर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्डशुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राइव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 05.03.2026 समय 08.00 पीएम पर दिनांक 05.03.2026 को रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता के बाद आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य समय 03.49 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता जिसे आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर उक्त वार्ता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल यशवन्त कुमार जोशी मय मेमोरी कार्ड में

रिकॉर्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष श्री ईश्वरलाल कानि न 320 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्त राशि लेनदेन मोबाईल वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मन् अतिक्रि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कानि. ईश्वरलाल न 320 से पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। उक्त वार्ता में आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की होने की पुष्टि की गई। डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डशुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 05.0.2026 समय 08.30 पीएम पर अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ ई.मित्र संचालकद्ध के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (B)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी श्रीमती गुड्डी बाई को जरिये मोबाईल पर दी गई। दिनांक 05.03.2026 समय 09.00 पीएम पर अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी पिता श्री रामजी जोषी जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर हाल ग्राम विकास अधिकारी सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज कचोटिया के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 (B)(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के भाई श्री दिनेश जोशी को जरिये मोबाईल दी गई। दिनांक 05.03.2026 समय 9.30 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह, परिवादी व आरोपीगणों के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध आरोपी यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एवं आरोपी दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ में दिनांक 27.02.2026 को समय 01.57 पीएम , 02.03 पीएम पर परिवादी दौलत सिंह व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मांग सत्यापन रूबरू वार्ता मोबाईल वार्ता एवं व दिनांक 05.03.2026 को समय 3.34 पीएम , 3.49 पीएम पर रूबरू लेनदेन वार्ता मोबाईल वार्ता उक्त समस्त वार्ताएँ जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर को श्री ईश्वर लाल कानि 320 से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को कॉपी कर चार पेन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर मूल पैन ड्राईव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राईव तथा तीसरी व चौथी पैनड्राईव पर आरोपी पैन ड्राईव लिखा गया। मूल पैन ड्राईव तथा दो आरोपी पैन ड्राईव KDM कम्पनी स्टील बरंग सिल्वर जिसकी हेष वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आईओ पेनड्राईव को अनशिल्ड रखा जाकर खाकी लिफाफे में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 09.45 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवादी व आरोपीगणों के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध आरोपी यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एवं आरोपी दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढमें दिनांक 27.02.2026 को समय 01.57 पीएम 02.03 पीएम पर परिवादी दौलत सिंह व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मांग सत्यापन रूबरू वार्ता मोबाईल वार्ता एवं व दिनांक 05.03.2026 को समय 3.34 पीएम, 3.49 पीएम पर रूबरू लेनदेन वार्ता मोबाईल वार्ता उक्त समस्त वार्ताएँ जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर को श्री ईश्वर लाल कानि 320 से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड बरंग काला KDM Mirco SD HC 8 GB को कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 10.15 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवादी व आरोपीगणों के समक्ष ट्रेप विरुद्ध आरोपी यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एवं आरोपी दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ कार्यवाही के दौरान श्री ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM Mirco SD HC 8 GB को सरकारी कम्प्यूटर से कनेक्ट कर विडियोग्राफी की दो पेन ड्राईव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर मूल पैन ड्राईव तथा

दुसरी पर आईओ पेनड्राइव लिखा गया। मूल पैन ड्राइव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर जिसकी हेष वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आईओ पेनड्राइव को अनपील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफें में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 10.45 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवारी व आरोपीगणो के समक्ष ट्रेप विरुद्ध आरोपी यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एंव आरोपी दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ मुर्तिबा विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ कार्यवाही के दौरान श्री ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM Mirco SD HC 8 GB मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर नियमानुसार हेश वेल्यू निकाल कर मुल मेमोरी कोड को कवर में रखकर वजह सबूत लिया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो ने हस्ताक्षर किये गये। नियमानुसार मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 11.00 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवारी व आरोपीगणो के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एंव दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ में आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के कस्बा सुहागपुरा बस स्टेण्ड पर स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover 7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM Mirco SD HC 8 GB मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर विडियोग्राफी की तीन पेन ड्राइव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर की तैयार की गयी। एक पर मूल पैन ड्राइव तथा दुसरी पर आईओ पेनड्राइव तथा तीसरी पर आरोपी यशवन्त कुमार जोशी पैन ड्राइव लिखा गया। मूल पैन ड्राइव व आरोपी पैन ड्राइव KDM कम्पनी बरंग सिल्वर जिसकी हेष वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संबधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। आईओ पेनड्राइव को अनपील्ड रखा जाकर खाकी लिफाफें में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 11.15 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवारी व आरोपीगणो के समक्ष ट्रेप विरुद्ध आरोपी विरुद्ध यशवंत जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा एंव दलाल राजमल ई.मित्र संचालक सुहागपुरा जिला प्रतापगढ में आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के कस्बा सुहागपुरा बस स्टेण्ड पर स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी के दौरान ईश्वर लाल कानि न 320 से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover 7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर मूल मेमोरी कार्ड KDM Mirco SD HC 8 GB मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट कर नियमानुसार हेश वेल्यू निकाल कर मुल मेमोरी कोड को कवर में रखकर वजह सबूत लिया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो ने हस्ताक्षर किये गये। नियमानुसार मार्क M-2 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 11.35 पीएम पर इस समय उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवारी के समक्ष आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी पिता रामजी जोशी जाति ब्राहमण उम्र 35 साल निवासी गमोट मोहल्ला बडगांव उदयपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा जिला प्रतापगढ की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री गट्टु लाल मीणा से लिवाई गई तो आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल VIVO कम्पनी मॉडल Y 200e 5G बरंग ब्लयु कलर मय सीम कार्ड 1 नम्बर सीम कम्पनी एयरटेल व सीम कार्ड 2 नम्बर ; सीम कम्पनी जीओ आईएमईआई 01 स्लोट नम्बर आईएमईआई 02 स्लोट नम्बर को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.03.2026 समय 11.55 पीएम पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह परिवारी के समक्ष आरोपी श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ हाल ई. मित्र संचालक सुहागपुरा की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री गट्टु लाल मीणा से लिवाई गई थी तो आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल VIVO कम्पनी मॉडल V40 बरंग परपल कलर मय सीम कार्ड 1 नम्बर सीम जीओ कम्पनी व सीम कार्ड 2 नम्बर सीम एयरटेल कम्पनी की व आईएमईआई 01 स्लॉट नम्बर आईएमईआई 02 स्लॉट नम्बर को उक्त कार्यवाही में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 06.03.2026 समय 07.00 एएम पर आरोपीगण आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक व

आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 424 व 425 दिनांक 06.03.2026 दिये गये। आरोपीगण ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण न्यायालय में पेश कर दुंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। दिनांक 06.03.2026 समय 07.30 एएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के सजायाबी रिकोर्ड हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 419 दिनांक 06.03.2026 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सराडा जिला उदयपुर को व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक के सजायाबी रिकोर्ड हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 420 दिनांक 06.03.2026 द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को तहरीर जारी कर जरिये मेंल भेजा गया। दिनांक 06.03.2026 समय 11.00 एएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के सेवा विवरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 421 दिनांक 06.03.2026 द्वारा ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को तहरीर जारी कर जरिये मेंल भेजा गया। दिनांक 06.03.2026 समय 12.00 पीएम पर पूर्व पाबन्दषुदा श्री नानुराम जी मीणा ब्लोक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ हाजिर कार्यालय आये जिन्हे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 27.02.2026 को परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई मोबाईल मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 05.03.2026 को रिश्वती राशि लेनदेन वार्ता के दौरान आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक व आरोपी यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी के मध्य समय 03.49 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता जिसे आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा के मोबाईल को लाउडस्पीकर पर रखकर उक्त वार्ता को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। जिसकी डब पेन ड्राईव को ब्यूरो के लेपटॉप मे चलाकर पेनड्राईव मे सेव वार्ता को चलाकर श्री नानुराम जी मीणा ब्लोक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को सुनाई गई तो उक्त दर्ज वार्ता में श्री नानुराम मीणा ने एक आवाज श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी मेरे अधीनस्थ पदस्थापित होने से उनके द्वारा आरोपी की आवाज पहचानना बताया तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। श्री नानुराम मीणा ने आरोपी यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्यालय पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ के पत्रांक 1475 दिनांक 06.03.2026 से सेवा विवरण पेश किया। बाद फारिक श्री नानुराम जी मीणा ब्लोक विकास अधिकारी पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ को रूखसत किया गया। दिनांक 06.03.2026 समय 02.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विर विक्रम सिंह कानि 189 व कानि श्री दिलीप न 319 के मय सरकारी वाहन बोलेरो के गिरफ्तारशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु मय तहरीर के रवाना जिला चिकित्सालय प्रतापगढ हुआ। दिनांक 06.03.2026 समय 03.10 पीएम पर उपरोक्त पेरा का रवानाषुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विर विक्रम सिंह कानि 189 व कानि श्री दिलीप न 319 के मय सरकारी वाहन बोलेरो के गिरफ्तारशुदा आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई. मित्र संचालक व आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मय तेहरीर के रवाना जिला चिकित्सालय प्रतापगढ पहुच आरोपीगणो का स्वास्थ्य परीक्षण करवा मय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के हाजिर कार्यालय उपस्थित आया। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 06.03.2026 समय 03.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही की दस्तावेजी कार्यवाही पुर्ण होने पर स्वतंत्र गवाह श्री भगवती लाल नायक व श्री गटुलाल मीणा तथा परिवादी श्री दौलत सिंह चौहान को रूखसत किया गया। दिनांक 06.03.2026 समय 04.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जासा श्री दिलीप कानि न 319 व श्री ईश्वरलाल कानि 320 व कानि नरेन्द्र सिंह न 324 मय आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी व श्री आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक को सरकारी वाहन से रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रतापगढ के समक्ष पेश करने हेतु मय डायरी के रवाना हुआ। दिनांक 06.03.2026 समय 06.00 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवानाषुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जासा श्री दिलीप कानि न 319 व श्री ईश्वरलाल कानि 320 व कानि नरेन्द्र सिंह न 324 मय आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी व श्री आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक को सरकारी वाहन से रिमाण्ड के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रतापगढ के समक्ष मय केस डायरी के पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा हर दोनो आरोपीगणो को जेसी फरमाया जिस पर जेसी वारन्ट प्राप्त कर हर दोनो आरोपीगणो को हमराह ले जिला काराग्रह प्रतापगढ जमा करा रसीद प्राप्त कर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व जरिये मोबाईल मांग सत्यापन वार्ता फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनाँफ्थेलीन पाउडर फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन.देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने की एवज में आरोपी श्री यशवन्त कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दलाल श्री राजमल मीणा ई.मित्र संचालक के मार्फत परिवादी

से रिष्वत राषि की मांग की जा रही है जिस पर दिनांक 27.02.2023 को रिष्वत राषि की मांग का सत्यापन करवाया गया। रिष्वत राषि मांग के सत्यापन की पुष्टि होने पर परिवारी दौलत सिंह चौहान के मकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिये 12000/- रुपये की मांग कर दलाल राजमल ई.मित्र संचालक को देने के लिये कहा तथा आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी ने दलाल श्री राजमल ई.मित्र संचालक के मार्फत 12000/- रुपये की रिष्वत राषि की मांग की गई व 8000/- रुपये रजिस्ट्री करने से पहले व 2000/- रुपये रजिस्ट्री करने के बाद देना तय हुआ। मांग अनुसार दिनांक 05.03.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया के लिए उसके दलाल श्री राजमल ई.मित्र संचालक को 8000/- रुपये रिष्वत राषि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया व आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया की उक्त रिष्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन में संलिप्तता होने से बाद पुछताछ ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी पिता श्री रामजी जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर हाल ग्राम विकास अधिकारी सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज कचोटिया व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ ई.मित्र संचालक द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवारी से मांगकर ग्रहण करना जोए जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री यशवंत कुमार जोशी पिता श्री रामजी जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर हाल ग्राम विकास अधिकारी सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज कचोटिया व आरोपी दलाल श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ ई.मित्र संचालक के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री यशवंत कुमार जोशी पिता श्री रामजी जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल निवासी बडगांव सराडा थाना सराडा जिला सलुम्बर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुहागपुरा अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत कचोटिया एवं 2. श्री राजमल मीणा पिता श्री जीवाजी मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी मुल्याखेडी थाना सुहागपुरा जिला प्रतापगढ के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 599 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 460-63 दिनांक 12.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): RISHIKESH MEENA Rank अपर पुलिस अधीक्षक  
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to  
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग )	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)